संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

ब्लॉक-1, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002
फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स - 2221641, ईमेल - cgayush@gmail.com

---

क्रमांक STU-47/6/2025/1-193 नवा रायपुर,दिनांक 30-10-2025

-:: सूचना ::-

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम.डी.-आयुर्वेद/एम.एस.-आयुर्वेद) में प्रवेश हेतु जारी शेड्यूल अनुसार आबंटन पत्र जारी किया जावेगा।

अतः अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों के संवीक्षा हेतु महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की शैक्षणिक शुल्क सहित आवश्यक सभी वांछित मूल दस्तावेज एवं दो सेट छायाप्रति तैयार रखें।

शैक्षणिक शुल्क की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	शैक्षणिक शुल्क
1	श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	रू. 57,000/- (UR, EWS & OBC) रू. 32,000/- (ST & SC)
2	महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम-सुन्दरा, राजनांदगांव (छ.ग.)	संलग्न सूचना दिनांक 29.10.2025 अनुसार

अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा प्रवेश नियम, 2024 के नियम 11.2 के अनुसार निम्नलिखित क्रम में आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें:-

1. प्रवेश परीक्षा (AIAPGET) का प्रवेश पत्र
2. प्रवेश परीक्षा (AIAPGET) की अंक सूची।
3. दसवीं की मूल अंकसूची।
4. बारहवीं की मूल अंकसूची।
5. बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम की समस्त परीक्षाओं की अंकसूचियां
6. इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र।
7. बी.ए.एम.एस. उपाधि प्रमाण-पत्र
8. केन्द्रीय अथवा किसी राज्य से मान्यता प्राप्त आयुर्वेद बोर्ड/परिषद में स्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र।
9. सीट आबंटन पत्र (Seat Allotment Letter)
10. परिचय पत्र (Identity Card) जैसे:- आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, मतदाता पत्र, पासपोर्ट।
11. निवास प्रमाण पत्र।
12. स्थायी जाति प्रमाण पत्र (नियम 4.2 के अनुसार)।
13. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्थायी जाति प्रमाण पत्र सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विगत तीन वर्षों में से कोई एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केवल माता का आय

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में पिता का कोई आय नहीं होने अथवा पिता के जीवित नहीं होने अथवा पिता के साथ नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय/जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (नियम 4.3 के अनुसार)।

15. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र। (नियम 4.3) के अनुसार)

16. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण पत्र (नियम 4.3 के अनुसार)।

17. ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम ‘‘आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र’’।

18. अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र (नियम 4.1.4.2 के अनुसार)।

19. अभ्यर्थी के अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो तत्संबंधी कारण बताते हुए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि उक्त अवधि में अभ्यर्थी किन्हीं गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहा है।

20. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (Transfer Certificate),

21. चरित्र प्रमाण-पत्र (Character Certificate)

22. चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (Medical Fitness)

23. प्रवर्जन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate)

24. सेवारत अभ्यर्थियों को नियोजक संस्था द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

संलग्नः- सूचना दिनांक 29.10.2025

Digitally signed by
SUNIL KUMAR DAS
Date: 30-10-2025
18:37:27

संयुक्त संचालक
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़